

जिला स्तराय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई

जनसुनवाई में पहुंचे 70 आवेदन, संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

६-१०-२१

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ शरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में ग्राम पलसोड़ा निवासी बाबूलाल पिता स्व हीरालाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि आवेदक की माता रुक्मिणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदक का 95% मकान में निवास करता है तथा उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है और रहने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक



प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है। ग्राम नन्दलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता श्री रामेश्वर ने जनसुनवाई में बताया कि प्राथी दिव्यांग है।

प्राथी ने अनाथाश्रम की एक लड़की के साथ विवाह किया है और जैसे-तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है। प्राथी ने बताया कि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि,

मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांग होने की वजह से वह बराबर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः प्राथी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। एसडीएम जाधरा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया

इसी तरह न्यू काजीपुरा निवासी शबीना बी. पति स्व.सादिक मंसूरी ने आवेदन में बताया कि प्राथिया के पति की मृत्यु हो चुकी है और प्राथिया की तीन बेटियां हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। अतः उसे आर्थिक मदद दी जाए जिससे वह छोटा-मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन-यापन कर सके। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया है।

राज न्यूज

6/10/2021

विकास की बाट जोह रहा है प्रताप नगर क्षेत्र का बगीचा...

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

भाजपा शासन में चारों तरफ विकास होता दिखाई दे रहा है, शहर की मुख्य सड़कों का कार्य भूत गति से चल रहा है, सातखड़ी, महु रोड़, गीता मंदिर, पावर हाउस रोड़, सैलाना रोड़ तक फोरलेन हो चुकी है, शहर के अनेक बगीचे भी विकसित हुए हैं और वहां पेपर ब्याक बच्चों के खेलने के स्थान आदि नगर निगम द्वारा लगाये गये हैं।

किन्तु दूसरी तरफ वार्ड क्रं. 29 स्थित मनसा महादेव मंदिर का बगीचा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, यहां आरिश के कारण पेपर ब्लॉक के बीच में पानी भरने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे डेंगू बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जहां अनेक क्षेत्र में छोटे-छोटे बगीचे विकसित हो गये हैं, किन्तु यहां का बगीचा विकसित होने की राह दुंदुब रहा है, जबकि यहां इस क्षेत्र में अनेक प्रबुद्ध एवं प्रभावी लोग



निवास करते हैं, बगीचे के सामने ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यवाहक वीरेन्द्र वाफगांवकर, सिंघम टाइम्स के संपादक गोविंद उपाध्याय, इष्का के वाइस प्रेसीडेंट दिनेश सियाल और रेलवे के लोकप्रिय कर्मचारी नेता कामरेड प्रकाश व्यास और तो और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं बावजूद इसके ये बगीचा अधिकसित होकर मच्छरों को जन्म दे रहा है।

इसके अलावा भी प्रताप नगर के मध्य निकलने वाले नाले में भी मलबा होने से पानी

वाधित हो रहा है, वह भी एक समस्या बनी हुई है, बगीचे व खाली प्लॉट में गाजरपास भी हो रही है, इन समस्याओं को लेकर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राकेश परमार व निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया है। प्रताप नगर के अध्यक्ष विवेक कपूर, सचिव महेन्द्रसिंह यदौर, श्री उमेन्द्रसिंह उमरन, सहसचिव रोहित राजावा, वीरेन्द्रसिंह यदौर आदि ने इन समस्याओं को ध्यान निगम प्रशासन की तरफ आकर्षित किया।

इन्होंने कहा

बहुत जल्द निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को प्रताप नगर क्षेत्र में दुलाकर मनसा महादेव मंदिर प्रांगण बगीचे का अवलोकन कराकर बगीचा विकसित करने एवं अन्य समस्याओं के समाधान करवाएंगे।

6-10-21 • राजेन्द्रसिंह लुनेरा रहवासी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष वार्ड क्रं. 29, प्रताप नगर/मगलम सिटी, कालोनी

शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य पर हुआ प्रकरण दर्ज

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

सोमवार को शहर कांग्रेस के बैनर तले रेली निकालने और प्रदर्शन करने के मामले में शहर तहसीलदार गोपाल सोनी के प्रतिवेदन पर माणकचौक थाना पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और रेली में शामिल अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के खिलाफ जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन कर रेली निकालने पर धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया है।

ज्ञातव्य है कि नगर निगम रतलाम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए शहीद चौक से नगर निगम के भवन तक रेली निकाली थी।

हल्ह बोल प्रदर्शन में कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटक एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल थे (नगर निगम गेट पर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शाब्द विभायक कालिलाल भूरिया सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया था।

सिंघम टाइम्स

नगर निगम की अत्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस का प्रभावी प्रदर्शन

सिंधुम टिपोटर् रतलाम

नगर निगम में व्याप्त अत्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने एक जमी प्रदर्शन शहीद चौक से नगर निगम के भवन तक विशाल रैली के रूप में कार्यक्रमों को किया। हल्ल बोल प्रदर्शन में कॉन्ग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटक एवं विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता हस्त में तख्तियां एवं झंडे लेकर चल रहे थे नगर निगम गेट पर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया। साथ ही चेतावनी दी है जन हितेषी कार्यों में किसी भी



प्रकार का भेदभाव बर्दाशत नहीं किया जाएगा। सुंदरीकरण के नाम पर जनता को बेरोजगार नहीं किया जाए एवं साथ में जरूरतमंदों को पट्टे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए।

कार्यक्रम को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पारस सकलेचा, यास्मिन शेरानी, रजनीकांत व्यास, शांतिलाल वर्मा, बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछवाहा, मुबारिक खान,

राजीव रावत, सतीश पुरोहित अरविंद सोनी, हितेश पेमल ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जेम्स चाको, शैलेंद्र सिंह अठाना, श्रीमती अदिति देवेसर, मनसूर अली पटौदी, संजय छाजेड़, सेयद

बुसद, श्रीमती मीना बग्गा, नीलेश शर्मा, महिप मिश्रा, श्रीमती संगीता काकरिया, श्रीमती निशा विजय, जोएब आरिफ, सुजीत उपाध्याय सहित कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश लखीमपुर लिखी में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाइज को किसानों के यहाँ जाने से रोक कर जिस प्रकार से ढंग से गिरफ्तार किया उसकी निंदा की गई एवं राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल भंग करने की मांग की गई है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अभिषेक गहलोत को सौंपा गया।

6-10-21

निगम के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

6-10-21

सिंधुम टिपोटर्

स्थानीय मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का मुद्दा भी उठाया, ज्ञापन सौंपा

रतलाम राज न्यूज नेटवर्क

नगर निगम रतलाम में व्याप्त अत्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने एक जमी प्रदर्शन शहीद चौक से नगर निगम के भवन तक विशाल रैली के रूप में कार्यक्रमों को किया। हल्ल बोल प्रदर्शन में कॉन्ग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटक एवं विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता हस्त में तख्तियां एवं झंडे लेकर चल रहे थे नगर निगम गेट पर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया साथ ही चेतावनी

दी है जन हितेषी कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाशत नहीं किया जाएगा सुंदरीकरण के नाम पर जनता को बेरोजगार नहीं किया जाए एवं साथ में जरूरतमंदों को पट्टे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए।

कार्यक्रम को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पारस सकलेचा, यास्मिन शेरानी रजनीकांत व्यास, शांतिलाल वर्मा, बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछवाहा, मुबारिक खान, राजीव रावत, सतीश पुरोहित अरविंद सोनी हितेश पेमल ने संबोधित किया।

कार्यक्रम में जेम्स चाको शैलेंद्र सिंह अठाना श्रीमती अदिति देवेसर, मनसूर अली पटौदी

, संजय छाजेड़, सेयद बुसद, श्रीमती मीना बग्गा, नीलेश शर्मा, महिप मिश्रा, श्रीमती संगीता काकरिया श्रीमती निशा विजय, जोएब आरिफ, सुजीत उपाध्याय सहित कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश लखीमपुर लिखी में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाइज को किसानों के यहाँ जाने से रोक कर जिस प्रकार से ढंग से गिरफ्तार किया उसकी निंदा की गई एवं राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल भंग करने की मांग की गई है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अभिषेक गहलोत को सौंपा गया।

मिली शिकायतों के आधार पर निगमायुक्त ने दायित्वों में किया व्यापक फेरबदल

कई इंजीनियरों व झोन प्रभारियों को किया इधर से उधर

रतलाम ● स्वदेश समाचार कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने सिटी इंजीनियर जी.के. जायसवाल व स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह को कार्य में लापरवाही बताने व निरंतर शिकायतें प्राप्त होने पर पद से हटाते हुए श्री जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी व श्री सिंह को झोन क्रमांक 2 का झोन प्रभारी नियुक्त किया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों को नवीन दायित्व आगामी आदेश तक सौंपते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख को जल प्रदाय विभाग, कर्मशाला विभाग व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 49 के समस्त निर्माण एवं संधारण कार्य, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी, बीएलसी घटक के समस्त कार्य, कॉलोनी सेल, अमृत योजना-सीवरेज, नाला सुदृढीकरण, ग्रीन स्पेस, सीएम इन्फ्रा फेस 2 एवं 3, मिनी स्मार्ट सिटी, सिटी ट्रांसपोर्ट, जुलवानिया व करमदी ट्रेडिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य व स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री

जी.के. जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, निर्वाचन प्रकोष्ठ, जनगणना, एसडीआरएफ योजना, आईएचएचएल, नेहरू स्टेडियम, वृमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व प्रस्तावित फुड ज़ोन का दायित्व सौंपा है।

दशोत्तर को उद्यान

इसी तरह प्रभारी सहायक यंत्री अरविन्द दशोत्तर को प्रभारी अधिकारी उद्यान व प्रभारी अधिकारी अमृत सागर झील संरक्षण योजना, एम.के. जैन को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 1 से 14 के समस्त विकास कार्य, सीएम इन्फ्रा. एवं मिनी स्मार्ट सिटी वार्ड क्रमांक 1 से 14, कॉलोनी सेल वार्ड क्रमांक 1 से 14 व निर्वाचन एवं जनगणना वार्ड क्रमांक 1 से 14 तक, सत्यप्रकाश आचार्य

को प्रभारी अधिकारी विकास शाखा व प्रभारी अधिकारी प्रकाश विभाग, इयाम कुमार सोनी को भवन अनुज्ञा वार्ड क्रमांक 1 से 49 तक, लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 15 से 32 के समस्त विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी, बीएलसी घटक के समस्त कार्य, कॉलोनी सेल वार्ड क्रमांक 15 से 32 को दायित्व सौंपा।

कुरेशी को लोनिवि

अमृत योजना-सीवरेज, मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ.आर. 1 रोड संबंधित कार्य व जुलवानिया व करमदी ट्रेडिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य, अनवर कुरेशी को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 33 से 49 के समस्त विकास कार्य, कॉलोनी सेल वार्ड क्रमांक 33 से

49, सीएम इन्फ्रा 3, मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ.आर. 3 एवं 4 रोड संबंधित कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी सहायक यंत्री, अमृत सागर झील संरक्षण योजना, नेहरू स्टेडियम व वृमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दायित्व सौंपा है।

चौधरी को जलप्रदाय

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपयंत्री भैर्यालाल चौधरी को जल प्रदाय विभाग वार्ड क्रमांक 1 से 25, सुहास पंडित को वार्ड क्रमांक 26 से 49, राजेन्द्र मिश्रा को लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मेन्टेनेंस कार्य के प्रभारी सहायक यंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 49, उपयंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 8, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल,

पीएमएवाय अंतर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, नेहरू स्टेडियम व वृमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजेश पाटीदार को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 9 से 16, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा. एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, अमृत सागर झील संरक्षण, जुलवानिया व करमदी ट्रेडिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य को दायित्व सौंपा। निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य विभाग में विनय सिंह चौहान को झोन क्रमांक 3 का झोन प्रभारी, पर्वत हाड़े को झोन क्रमांक 1 का झोन प्रभारी, किरण चौहान को झोन क्रमांक 4 का झोन प्रभारी नियुक्त किया वहीं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक सोरभ काला को वार्ड क्रमांक 15 के वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा।

कुशवाह को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 17 से 24, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य

6-10-21

प्रधानमंत्री आवास योजना एचपी डीपीआर 1 मुद्दजी नगर एवं डोसी गांव तथा सीवरेज वार्ड क्रमांक 26 से 49, ब्रजेश कुशवाह को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 17 से 24, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, अमृत योजना-नाला सुदृढीकरण, ग्रीन स्पेस, उपयंत्री उद्यान, मेन्टेनेंस संबंधी समस्त कार्य वार्ड क्रमांक 1 से 49 तथा विकास शाखा वार्ड क्रमांक 1 से 25, मनीष दिवारी उपयंत्री वार्ड क्रमांक 26 से 32, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, उपयंत्री कर्मशाला विभाग तथा सिटी ट्रांसपोर्ट, सुश्री टीका विजयपुरकर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 33 से 40, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजना एचपी घटक अन्तर्गत डीपीआर 3 बंजली, आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 26 से 49 व सीवरेज वार्ड क्रमांक 1 से 25 तथा श्रीमती अजिता ठक्कर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 41 से 49, लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्य, भवन अनुज्ञा, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी, कॉलोनी सेल, पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी, निर्वाचन एवं जनगणना, प्रधानमंत्री आवास योजना एचपी घटक अन्तर्गत डीपीआर 2 डोसी गांव, आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 1 से 25 व विकास शाखा वार्ड क्रमांक 26 से 49 तक का दायित्व सौंपा है।

स्वदेश
6/10/2021

70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए

► विभिन्न विभाग के आए आवेदन

संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम पलसौडा निवासी बाबूलाल पिता स्व. हीरालाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि आवेदक की माता रुक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के

तहत आवेदन दिया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदक कच्चे मकान में निवास करता है तथा उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है और रहने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है।

ग्राम नान्दलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता श्री रामेश्वर ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी दिव्यांग है। प्रार्थी ने अनाथाश्रम की एक लडकी के साथ विवाह किया है और जैसे-तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी ने बताया कि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण

उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांग होने की वजह से वह बराबर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। एसडीएम जावरा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। न्यू काजीपुरा निवासी शबीना बी. पति स्व. सादिक मंसूरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो चुकी है और प्रार्थिया की तीन बेटियां हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। अतः उसे आर्थिक मदद दी जाए जिससे वह छोटा-मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन-यापन कर सके। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया है।

नवभरत
6/10/2021

रतलाम विकास प्रारूप योजना 2035 पर टीएंडसीपी द्वारा आपत्ति सुनने के लिए दिनांक 29-9-2021 निर्धारित की जिसमें 296 आपत्तियां आई परंतु आश्चर्य इस बात का कि टीएंडसीपी के जवाबदार अधिकारी आपत्तियों का जवाब नहीं दे पाए और बगलें झांकते रहे?

(डी.पी. अग्रवाल)

रतलाम। रतलाम विकास प्रारूप योजना 2035 पर टीएंडसीपी ने जनता से आपत्तियां बुलवाई थीं जो सुनने के लिए दिनांक 29-9-2021 निर्धारित कर जिला कलेक्टर कार्यालय सभागृह में बैठक का आयोजन किया व समय 12 बजे दोपहर को निश्चित किया। निर्धारित तय समय पर आपत्तिकर्ता समय पर मीटिंग हाल में पहुंच गए परंतु हमारे जवाबदार अधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व अन्य जवाबदार तथा नगर विधायक करीब एक घंटा देरी से पहुंचे तथा आते ही फरमान जारी कर दिया जो केवल आपत्तिकर्ता क्रं. 1 से 50 तक ही मीटिंग हाल में बैठे बाकी सब बाहर निकल जाए। क्या

ग्रीनलैंड व तालाब की जमीनों पर कालोनियां डेवलप करने और भवन निर्माण की इजाजत क्यों और किसने दी?

इस प्रकार से आपत्तिकर्ता को बुलाकर और फिर एक से 51 के आगे के आपत्तिकर्ताओं को बाहर निकल जाने का फरमान (आदेश) जारी करना कहां तक उचित है? क्या उनको समय पर बुलाकर उनका अपमान करना नहीं माना जाएगा क्या?

टीएंडसीपी ने रतलाम विकास प्रारूप योजना 2035 को बनाने में पूरी तरह भूमिनिया और कुछ रसूखदार कालोनाइजर को आपसी मिलीभगत के तहत लाभ पहुंचाने का काफी भरसक प्रयास किया, यहाँ नहीं नगर पालिक निगम व टीएंडसीपी रतलाम के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत तथा

भ्रष्टाचार के तहत कई ग्रीनलैंड व तालाब की भूमियों पर कालोनी काटने वालों को बिना अधिकार प्राप्त कालोनियों को काटने की इजाजत कालोनाइजर को देकर अपने पद व पावर का दुरुपयोग किया गया तथा नगर निगम रतलाम के जवाबदार अधिकारियों, निगम आयुक्त एवं सिटी इंजीनियर ने भी बिना अधिकार प्राप्त व पद का दुरुपयोग करते हुए इन अवैध कालोनियों में 80 फीट रोड पर भवन बनाने की इजाजत कैसे दे दी जबकि 80 फीट रोड की भूमि जिला प्रशासन के सर्वे नंबर 129/1 में कारखाना आबादी के अंदर वर्ष 2011-12

में न्यायालय तहसीलदार रतलाम की भूमि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 273 तालाब का. का. एवं बीड तथा 273/288 पाल तालाब एवं 129 आबादी, नाला, बीड की होकर शासन द्वारा सज्जन मिल को लीज पर दी गई भूमियां हैं।

जिसके बारे में मध्यप्रदेश शासन यागिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय खल्लभ भवन भोपाल द्वारा उनके पत्र क्रं. एफ 15-16/91/11/डी./भोपाल दि. 1-1-2000 में सज्जन मिल को जमीन वापस करने का निर्देश दिया था एवं सज्जन मिल ने

भी उक्त निर्देश के पालन में खसरा नंबर 43, 44, 129, 108/2, 23, 273/288 को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम को उनके पत्र क्रं. श्री स.मि.लि./रत./99-2000/1094 दिनांक 31-1-2000 को उक्त जमीनें सौंप दी गई थी तो फिर इस लीज (नजूल) की भूमि पर कालोनियां कैसे कट गईं तथा ग्रीनलैंड तथा तालाब की भूमियों पर विकास कार्य या डायवर्सन की इजाजत तो केन्द्र सरकार के अधिनस्थ ग्रीनलैंड व भूजल विभाग को बिना परामिशन के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इस परिवर्तन (डायवर्सन)

सापत्ताति शाकम्बरी

संवर्गेणी सड़कें • 15 अक्टूबर से डामर का प्लांट शुरू होते ही शुरू होगा काम, दैनिक भास्कर की खबरों के बाद प्रशासन ने लिया सड़कों का संज्ञान 50 करोड़ रुपए से होगा शहर की सड़कों का सुधार, निगम ने की तैयारी

नगर निगम की संपत्ति बेचकर जुटाएंगे फंड

भास्कर संवाददाता | रतनभूम

जर्जर सड़कों से शहरवासियों को जल्द मुक्ति मिलने वाली है। 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का सुधार होगा। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है व फंड जुटाना जा रहा है। इस राशि से सभी प्रमुख सड़कों का सुधार होगा। एक दो दिन में टेंडर निकाले जाएंगे। 15 अक्टूबर से डामर के प्लांट चालू होने के साथ डामरीकरण शुरू कर दिया जाएगा। सड़कों के सुधार के लिए फंड निगम की संपत्ति बेचकर जुटाया जाएगा। इसके लिए संपत्ति नीलामी की विज्ञापन जारी की जा चुकी

है व नीलामी के लिए बोलियां भी आना शुरू हो गई हैं। इन संपत्तियों से जो राशि मिलेगी उससे सड़कों का सुधार किया जाएगा। इससे लोगों को गड़बड़ी सड़कों से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि शहर की जर्जर सड़कों को लेकर दैनिक भास्कर प्रमुखता से मुद्दा उठा रहा है। भास्कर का यह मुद्दा शांति समिति की बैठक में गरमाया था। यहाँ भी कलेक्टर कुमार पुर्योक्तम ने सदस्यों को 15 अक्टूबर बाद से सड़कों का सुधार करने का भरोसा दिलाया। वहीं मामले में सिटी इंजीनियर जीके जायसवाल को भी हटाया जा चुका है। अब सड़क के मुद्दे को नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। सड़क का निर्माण होने से लोगों को राहत मिलेगी।

पांच साल पहले फोरलेन के लिए टेंडर हुए, अब तक नहीं मिली गड़दों से मुक्ति



नगर निगम से पैलेस रोड की यह जर्जर सड़क फोरलेन बनना है। पांच साल पहले टेंडर हो चुके हैं लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। जबकि नगर निगम के पास ही सड़क है। टेंडर होने के बाद निर्माण शुरू नहीं हुआ। व्यापारिक क्षेत्र है। इतने गड़बड़े हो रहे हैं कि आना-जाना मुश्किल हो रहा है। 6.10.21

स्वागत के लिए सीमेंट कांक्रिट की सड़क पर बना दी डामर की सड़क



यह कालिकामता मंदिर का मुख्य मार्ग है। पहले सीमेंट कांक्रिट बनाया गया। 8 महीने पहले सीएम के दौरे के चलते अच्छी खासी सड़क पर फिर डामर की सड़क बना दी। जहाँ शहर में अन्य लोग सड़कों के लिए तरस रहे हैं वहीं सीएम के दौरे के चलते इस क्षेत्र की सड़क शानदार बना दी है।

शहर की इन सड़कों का नगर निगम करेगा सुधार

नगर निगम मुख्य रोड, अमृत सागर तालाब रोड, बाल अस्पताल रोड, मेहदीकुई बालाजी से छत्रीपुल रोड, कस्तूरबा नगर मुख्य मार्ग, हरमला रोड, लोक निर्माण विभाग के सामने की रोड, नगर निगम जल भूतान काउंटर की रोड, सेलाना बस स्टैंड, गोराला रोड, बाजना बस स्टैंड रोड, त्रिवेणी रोड, आनंद कॉलोनी रोड सहित अन्य प्रमुख रोड शामिल है जिनका निर्माण होना है। ये सड़कें जो पांच साल बाद भी नहीं बनीं : महलवाड़ा से पैलेस रोड, चार चक्को से उकाला रोड, अमृतसागर रोड, दीनदयालनगर रोड, 80 फीट रोड, रत्नपुरी रोड, बजरंग नगर रोड, करमदी रोड, हिम्मत नगर ये सड़कें जो हर साल बनती हैं : कालिकामता रोड, जवाहर नगर रोड, त्रिवेणी गेट रोड, लक्कड़पीठा रोड।

आप भी भेजें खराब सड़क के फोटो

आप भी जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएँ। खराब सड़क के फोटो हमें भेजें। दैनिक भास्कर इसे प्रकाशित करेगा। आपकी खराब सड़क के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं यह भी लिखें। इस नंबर 98263-98255 पर तस्वीर वाट्सएप पर पेज 2 पर देखिए पाठकों द्वारा भेजी गई तस्वीरें।

श. भास्कर
6/10/2021

रतलाम के पास बाजना रोड पर अवैध रूप से किसी कटारिया बंधु की कालोनी विकसित हो रही है, क्या कलेक्टर इसकी जांच करवाकर रोक लगाएंगे?

रतलाम। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी तथा जनता में चर्चा है कि रतलाम-बाजना रोड पर बिबडोद के आगे एक बहुत बड़ी अवैध कालोनी विकसित हो रही है जिसमें आदिवासियों की जमीनें भी सम्मिलित हैं। क्या कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम उसकी अपने विरवासात्रों से जांच करवाएंगे कि इस कालोनी को विकसित करने और प्लाट काटने की इजाजत किसके द्वारा दी गई तथा इसमें आदिवासियों की कितनी जमीनें हैं, इनके नाम ट्रांसफर की इजाजत जिला प्रशासन के किस अधिकारी द्वारा दी गई की पूरी तहकीकात क्या जिला कलेक्टर करवाएंगे? अगर कालोनी का अवैध निर्माण हो रहा है तो उस पर कठोरता से रोक लगाई जावे तथा इस कालोनी में किसी आदिवासी की जमीन का अवैध रूप से लेन-देन हुआ है तो उसकी रजिस्ट्री निरस्त करने के आदेश रजिस्ट्रार कार्यालय को शासन हित में दिए जाना चाहिए और अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाना जनहित में होगा, यही अपेक्षा है?

क्या जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, गीता मंदिर रोड (रंगोली के सामने) बने लुनिया भवन जो नजूल (लीज) की भूमि खसरा नंबर 157 पर बना है पूर्व में शासन द्वारा फ्रामरोज (फारसी बंधु) को बरफ कारखाना लगाने के लिए लीज पर दी थी के संबंध में

रतलाम। जनता में चर्चा है कि रतलाम के पूर्व शासक द्वारा फ्रामरोज को बरफ कारखाना लगाने के लिए करीब 6000 वर्गफुट भूमि सवें नंबर 157 की नजूल भूमि (लीज) पर दी थी उस पर नगर पालिक निगम ने अवैध रूप से भवन निर्माण की स्वीकृति देकर भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके संबंध में जिला न्यायालय में लुनिया बंधु ने जिला न्यायालय में प्रकरण स्टे के लिए दायर कर स्टे प्राप्त किया हुआ है के संबंध में सुझाव है कि अपने अच्छे विद्वान अभिभाषक को कोर्ट में खड़ा करके स्टे को वैकैट करवाने तथा निगम द्वारा नजूल भूमि पर अवैध रूप से भवन बनाने की जो स्वीकृति दी गई उसको निरस्त करवाकर उक्त भूमि को शासन अपने आधिपत्य में लेकर अवैध रूप से बनाए गए भवन को जमीरोद करने की प्रक्रिया अपनावे तथा निगम के जिन-जिन अधिकारियों ने भवन बनाने की स्वीकृति दी है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही शासन हित व जनहित में की जावे और उन तमाम अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच लोकायुक्त से करवाई जावे यह जनहित एवं शासन हित में होगा?

सा. शाकरी

त नगर में सड़क अधूरी छोड़ी, सुभाष मार्ग में सड़क खोदी, मेंटेनेंस की चिंता नहीं

लेकिन निर्माण नहीं किया



ख जैन ने यह फोटो उपलब्ध निगम द्वारा सीवरेंज लाइन लेकिन अब ना तो सड़क की मांग किया जा रहा है। अब म अब तो मरम्मत की जाए।

हिम्मत नगर : वारिशा के बाद कीचड़ ही कीचड़ हो रहा



यह फोटो हिम्मत नगर निवासी सरफाक व्यापारी गोपाल सोनी ने भेजा है। उन्होंने बताया नगर निगम ने सड़क का निर्माण शुरू किया तो लगा था कि अब कीचड़ से मुक्ति मिलेगी लेकिन आधा अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया। इससे कीचड़ हो जाता है। सिटी इंजीनियर और आवुक्त पूरी तरह से जिम्मेदार है।

भंडारी गली : सीवरेंज की खुदाई की, रोड नहीं बनाई



यह फोटो भंडारी गली निवासी गोपाल शर्मा ने भेजी है। उन्होंने बताया कि सीवरेंज लाइन डालने और फिर कनेक्शन के नाम पर सड़क तो खोद दी। अब रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। इससे गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। निगम को इसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए।

6-10-21

मुखर्जी नगर : सड़क खराब, वारिशा में अती हैं दिक्कत



ये फोटो मुखर्जी नगर निवासी मीरा जोशी ने भेजी है। उन्होंने बताया कि सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है। वारिशा में तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। निगम को सड़क का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधि और निगम के अफसर जवाबदार हैं।

3/12/21

ई. शर्कर
6/10/21

35 दिन का वेतन काटा

रतलाम। खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करने वाले नागरिक व दुकानदारों पर स्याट फाइन किए जाने हेतु गठित दल द्वारा गत सितंबर माह से नियमित रूप से स्याट फाइन नहीं करने, शहर में कहीं भी स्याट फाइन नहीं करते पाए जाने व प्रतिदिन लक्ष्य अनुसूच्य स्याट फाइन नहीं करने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दल के कर्मचारियों का 35 दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। दल के पवन झांझोट, मनोज झांझोट, राकेश ललवत व आकाश शिंदे द्वारा गत सितंबर माह से पांच अक्टूबर तक नियमित व लक्ष्य अनुसूच्य स्याट फाइन नहीं करने तथा कार्यों में लापरवाही बरतने पर वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दैवेभोकर्मी राजेंद्रसिंह का सात दिन का वेतन काटा

जलदाय विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राजेंद्रसिंह - रामचंद्र द्वारा परिष्कृत अधिकारियों के विरुद्ध गलत टिप्पणी करने पर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार सात दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नई दुनिया
6/10/2021

जिलाध्यक्ष महेंद्र कटारिया व कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज

मामला शहर कांग्रेस के प्रदर्शन और रैली का

भास्कर संवाददाता | रतलाम

6-10-21
धारा 144 लागू होने पर प्रतिबंध के बावजूद रैली निकालने और प्रदर्शन करने पर प्रशासन ने आयोजक और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। तहसीलदार गोपाल सोनी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र कटारिया और पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ माणकचौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तहसीलदार गोपाल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 4 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला

प्रशासन की अनुमति के बिना शहर सराय चौराहे पर एकत्रित हुए। बिजली, पानी, सड़क, सफाई, सीवरेज आदि को लेकर पैदल रैली निकाली जो धानमंडी, चौमुखीपुल, घास बाजार, डालुमोदी बाजार, नाहरपुरा होते हुए नगर निगम तक निकली। महेंद्र कटारिया और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया। जानकारी मिलने पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, संक्रामक बीमारी फैलाने के लिए घातक कार्य जिससे अन्य व्यक्ति की जान को खतरा उत्पन्न होने तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

ई. शास्कर

6/10/2021

शहर सराय चौराहे से गुमटी का हटाया

पांच हजार वर्गफीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया

रतलाम। कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुष्पोत्तम के निर्देशानुसार विकास अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी विकसित करने वाले कार्लोनाईजर्स के विरुद्ध कार्रवाई के साथ शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध जिला, पुलिस व निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इसके तहत मंगलवार को सेलाना रोड क्षेत्र से पांच हजार स्क्वियर फीट भूमि को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जे में लिया गया। इसके अलावा शहर सराय क्षेत्र में सांची पार्कर को गुमटी की शिकायत जमसुनवाही में प्राप्त होने पर गुमटी को हटाया गया।

अवैध अतिक्रमण को तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से अतिक्रमणकर्ता से राशि वसूली जाएगी। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार गोपाल मोहन, ...



सेलाना रोड पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाती हुई जेसीबी। © नईदुनिया

निजामपुरकर व लोक निर्माण विभाग का अम्पला उपस्थित रहा। 6-10-21 सब्जी विक्रेता ने खुद पर प्रासलेट डाला : कार्रवाई के दौरान मौके पर एक सब्जी विक्रेता को हटाने के लिए कहने पर वह आक्रोशित हो गया। निगम व राजस्व अम्पले ने उसे समझाया ही उसने खुद

पर घासलेट डाल लिया। बहस के बीच उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की। एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान ने मौके पर मौजूद अम्पले के जरिये उसे आशुचिक बाने पहुंचाया। घाने पर माफ़ी मांगने के बाद उसे समझाया देकर छोड़ा गया।

खुले में गंदगी करने वाले चार व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर दिनेश अजहर नगर से 2000 रुपये, राकेश स्टेशन रोड, अकबर शहर सराय व बुरहानी फर्नीचर छत्रीपुल से 500-500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई।

नईदुनिया
6/10/2021

सेलाना रोड से 5 हजार स्क्वियर फीट सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई



रतलाम। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सेलाना रोड पर पांच हजार स्क्वियर फीट जमीन अतिक्रमण से मुक्ति कराई। यहां बालाजी मार्बल द्वारा पांच हजार स्क्वियर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसे हटाया गया। वहीं शहर सराय स्थित सांची पार्कर की गुमटी को भी हटाया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान,

शारदा
6/10/21

सरकारों भूमि पर किया अतिक्रमण हटाया जाए

एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग-अलग पट्टे जारी होने पर जांच करने की मांग की

भारत संवाददाता | रतलाम

6-10-21
सिलवटों का पास में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ ही एक ही परिवार के सदस्यों पर अलग-अलग पट्टे जारी किए गए जिन्हें निरस्त किया जाए। यह मांग मंगलवार को कलेक्टर के नाम पर जिला प्रशासन को दी गई शिकायत के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने की।

क्षेत्रवासियों ने शिकायत में बताया कि क्षेत्र के दबंग परिवार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

कर रखा है। इसकी सितंबर माह के पहले सप्ताह में शिकायत देने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दो दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है।

क्षेत्रवासियों ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि पूर्व में प्रशासन ने दो बार अवैध कब्जा हटा भी था उसके बावजूद दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहीं परिवार के लोगों ने शासन को गलत जानकारी देते हुए अलग-अलग नाम से पट्टे जारी करवा लिए हैं। उन पट्टों को भी निरस्त किया जाए। शिकायत देते समय सुधा चौहान, मधु बाई, संगीता राव, जितेंद्र कुमवार, जीतू राव, चिन्नू सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

शारदा
6/10/2021

हमारे जागरूक पाठकों की बोलती तस्वीरें

हिम्मत नगर में सड़क अधूरी छोड़ी, सुभाष मार्ग में सड़क खोदी, मेंटेने

रतलाम मुख्य मार्गों के साथ ही कॉलोनी, मोहल्ले और गलियों की सड़कें भी गड्ढों से पटी हैं। इतने गड्ढे हो रहे हैं कि लोगों का आना-जाना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इनकी रिपेयरिंग की चिंता ना तो जनप्रतिनिधियों को हे व ना ही अफसरों को है। इससे जनता रोज परेशान हो रही है।

सुभाष मार्ग : बारिश रुकी लेकिन निर्माण नहीं किया



शहर सराय सुभाष मार्ग निवासी वैभव जैन ने यह फोटो उपलब्ध कराया है। वैभव ने बताया कि नगर निगम द्वारा सीवरेंज लाइन डालने के नाम पर खुदाई तो कर दी लेकिन अब ना तो सड़क को मरम्मत की जा रही है और ना ही निर्माण किया जा रहा है। अब तो बारिश भी रुक गई है। कम से कम अब तो मरम्मत की जाए।

हिम्मत नगर : बारिश के बाद कीचड़ ही कीचड़ हो रहा



यह फोटो हिम्मत नगर निवासी सरफा व्यापारी गोपाल सोनी ने भेजा है। उन्होंने बताया नगर निगम ने सड़क का निर्माण शुरू किया तो लगा था कि अब कीचड़ से मुक्ति मिलेगी लेकिन आधा अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया। इससे कीचड़ हो जाता है। सिटी इंजीनियर और आयुक्त पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

भंडारी गली : सीवरेंज की खुदाई की, रोड नहीं बनाई



यह फोटो भंडारी गली निवासी गोपाल शर्मा ने भेजी है। उन्होंने बताया कि सीवरेंज लाइन डालने और फिर कनेक्शन के नाम पर सड़कें तो खोद दीं। अब रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। इससे गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। निगम को इसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए।

6-10-21

मुखर्जी न



ये फोटो मुखर्जी न बताया कि सर से निकलना मु करना चाहिए। जम्मेदार हैं।

ई. भास्कर
6/10/21

जी.के. जायसवाल को सिटी इंजीनियर व एपी सिंह को स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाया

सिधम रिपोर्टर □ रतलाम

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम ने सिटी इंजीनियर जी.के. जायसवाल व स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने व निरंतर शिकायतें प्राप्त होने पर पद से हटाते हुए श्री जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी व सिंह को झोन क्रमांक 2 का झोन प्रभारी नियुक्त किया।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों को नवीन दायित्व आगामी आदेश तक सौंपते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख को जलप्रदाय विभाग, कर्मशाला विभाग व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 49 के समस्त निर्माण एवं संधारण कार्य, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजना, एएचपी, बीएलसी घटक के समस्त कार्य, कालोनी सेल, अमृत योजना-सीवरेज, नाला सुदृढीकरण, ग्रीन स्पेस, सीएम इन्फ्रा फेस 2 एवं 3, मिनी स्मार्ट सिटी, सिटी ट्रांसपोर्ट, जुलवानिया व करमटी ट्रेचिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य व स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, निर्वाचन प्रकोश्ट, जनगणना, एस.डी.आर.एफ. योजना, आईएचएचएल, नेहरू स्टेडियम, वूमन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स व प्रस्तावित फुड जोन का दायित्व सौंपा है।

इसी तरह प्रभारी सहायक यंत्री

- नगर निगम के इंजीनियरों को सौंपे नवीन दायित्व - झोन प्रभारियों के झोन में किये बदलाव

अरविन्द दपोत्तर को प्रभारी अधिकारी उद्यान व प्रभारी अधिकारी अमृत सागर झील संरक्षण योजना, एम.के. जैन को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 1 से 14 के समस्त विकास कार्य, सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटी वार्ड क्रमांक 1 से 14, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 1 से 14 व निर्वाचन एवं जनगणना वार्ड क्रमांक 1 से 14 तक, सत्यप्रकाश आचार्य को प्रभारी अधिकारी विकास शाखा व प्रभारी अधिकारी प्रकाश विभाग, श्याम कुमार सोनी को भवन अनुज्ञा वार्ड क्रमांक 1 से 49 तक, लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 15 से 32 के समस्त विकास कार्य, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 15 से 32, अमृत योजना-सीवरेज, मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ.आर. 01 रोड संबंधित कार्य व जुलवानिया व करमटी ट्रेचिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य, अनवर कुरेशी को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 33 से 49 के समस्त विकास कार्य, कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 33 से 49, सीएम इन्फ्रा 3, स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी सहायक यंत्री, अमृत सागर झील संरक्षण योजना, नेहरू स्टेडियम व वूमन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दायित्व सौंपा है।

सिधम टाइम्स

दूसरे स्थान पर बचा हुआ अतिक्रमण हटाने पहुंचा निगम व प्रशासन

अतिक्रमण पर बवाल: युवक ने खुद को जलाने का किया प्रयास, सुबह विवाद, दोपहर में ज्ञापन



पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क 6-10-21 patrika.com

रतलाम, शहर में मंगलवार का दिन अतिक्रमण के मामले में रात वाला रहा। सुबह घांस बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले पर विवाद की शुरुआत हुई तो दोपहर तक जारी रही। एक युवक ने स्वयं को जलाने का प्रयास किया, समय रहते बचा लिया गया। इधर दूसरी तरफ तिरुपति नगर में नगर निगम व प्रशासन ने पूर्व में छोड़ा गया अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया।

सुबह घांस बाजार क्षेत्र में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी पहुंचे व रहवासियों द्वारा सब्जी विक्रेताओं को निजी गार्ड द्वारा हटाने का विरोध किया। कोठारी का कहना था कि सब्जी विक्रेता निगम को 10 रुपए देकर रसीद कटवाते हैं। जबकि रहवासियों का कहना था कि इनकी आड़ में अन्य कारोबारी आते हैं व उनके साथ असामाजिक लोग रहकर आवास की रेंको करते हैं। इसके अलावा जैन स्थानक से लेकर निजी स्कूल हैं जिसमें छात्राएं जाती हैं, जिनको परेशान असामाजिक तत्व करते हैं, इसलिए गार्ड रखा गया है।



थाने से लेकर निगम तक पहुंचें

घांस बाजार क्षेत्र के कारोबारी बड़ी संख्या में माणक चौक पुलिस थाना व बाद में निगम में जनसुनवाई में उपस्थित विकास सोलंकी के पास पहुंचे। इन्होंने कहा कि जो फुटकर कारोबारी हैं वे गंदगी करते हैं व इससे स्वच्छता अभियान प्रभावित होता है। असामाजिक लोग आते हैं जो महिलाओं व छात्राओं के लिए खतरा है। बाद में थाना प्रभारी व उपायुक्त ने कार्रवाई का भरोसा दिया।

निगम की जनसुनवाई में लगाई गुहार



इधर अमला पहुंचा

इधर एसडीएम अभिवेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ शारिया व उपर्युक्त आदि तिरुपति नगर में उस क्षेत्र में पहुंचे जहां दो दिन पूर्व बगैर अतिक्रमण हटाने निगम का अमला आ गया था। पक्कर कारोबारी को प्रशासकीय व निगम के अमले ने रविवार को मार्बल आदि हटाने का समय दिया था। जब अमला मंगलवार को पहुंचा तो पाया की अतिक्रमण कायम है। इसके बाद सब्जी से हटवाया गया। इधर जलाने का प्रयास किया इन सब के बीच तिरुपति नगर में जब सब्जी फल विक्रेताओं को हटवाया जा रहा था, तब एक युवक ने कार्रवाई के विरोध में स्वयं पर घांसलेट डालकर आग लगा दी। युवक का नाम परत्यक्षदशी धिनीव बताया रहे हैं। एक युवक को हिरासत में लिया तो दूसरा पुलिस बल देखकर फरार हो गया। इधर 5 हजार स्वचेयर फीट से अतिक्रमण हटाया और शहर सराय से एक गुमटी जल की गई।

मामला निगम का

जिसे सेटिंग के आरोप से हटाया, उसी को दे दिए मलाइदार विभाग



फॉलोअप

प्रकाशित खबर।

घोटालों के लिए चर्चित स्वास्थ्य से लेकर फूड पार्क की जिम्मेदारी दे दी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क patrika.com

रतलाम, नगर निगम में सिटी इंजीनियर जीके जासयवाल को अवेक कॉलोनाइजर से सेटिंग करने व तोड़ने के मामले में कमजोर सिद्ध होने पर कलेक्टर की नाराजी के बाद सोमवार को पद से तो हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी कम मलाइदार विभाग नहीं है। जायसवाल को घोटालों के लिए चर्चित निगम का स्वास्थ्य विभाग को दिया ही गया है इसके साथ साथ कलेक्टर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 10 करोड़ के फूड पार्क के साथ अन्य जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को बैठक में कलेक्टर ने इंजीनियरों की सेटिंग की सूचना पर नाराजी व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, बैठक में

उपस्थित अधिकारी बताते हैं कि साफ कहा गया था कि सुरंत जायसवाल को पद से हटाया जाए। पद से तो हटा दिया, लेकिन इसके बाद उनका कद अन्य जो विभाग मिले है उससे बढ़ ही गया है।

इसलिए बढ़ गया कद

नगर निगम में लोक निर्माण विभाग के सिटी इंजीनियर रहते हुए जासयवाल के पास सिर्फ सड़कों का पैचवर्क, नई सड़क बनाना तक कार्य सिमाती था। इसकी वजह कॉलोनी की मंजूरी देने के लिए सेल के अधिकृत कर्मचारी सुरेशचंद्र व्यास हैं। ऐसे में यहाँ जायसवाल के पास काम अधिक नहीं था। अब जो जिम्मेदारी मिली है उसमें कलेक्टर के 10 करोड़ के फूड पार्क का प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य विभाग तो है ही इसके साथ साथ एसडीआरएफ योजना, आईएचएचएल, महिलाओं का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाना, नेहरू स्टेडियम समय पर पूरा करवाना के अलावा जनगणना व निर्वाचन कार्य शामिल है।

विशेष अधिकार है

किस अधिकारी से क्या काम लेना, यह आयुक्त का विशेष अधिकार होता है। इसी के अनुसार कार्य विभाजन किया गया, जिससे जल्दी सकारात्मक नतीजे आ पाए।

सोमनाथ शारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका
6/10/2021

रोजगार जाब फेयर में 11 अक्टूबर को होगी पदों पर भर्ती

रतलाम। जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन 11 अक्टूबर को शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम पर आयोजित किया जाएगा। मेले में 15 से 20 निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रतिनिधि नियमित पदों पर भर्ती करेंगे। आईटीआई प्राचार्य यू.पी. अहिरवार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार मेले में ख्यातिप्राप्त कम्पनियों द्वारा ऑपरेटर, सेल्स एक्जिक्यूटिव, वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर एवं सेल्स मैनेजर आदि पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण से स्नातक तथा आयु 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक 11 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे से 4.0 बजे तक शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम पर अपना फोटो, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, आधार कार्ड की छव्याप्रति तथा बयोजाटा के साथ उपस्थित हो सकते हैं। आवेदक लिंक पर भी अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

3-902 2011 412

6-10-21

5091

6/10/2021

रतलाम के मास्टर प्लान में किसानों की अनदेखी

प्रसारण न्यूज • रतलाम

आने वाले दिनों में रतलाम का मास्टर प्लान लागू करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही है। हाल ही में आयोजित बैठक में जो मास्टर प्लान की बहस की गई है, उसमें आने वाली अधिकांश जमीनें या तो भूमिफियाओं की है या फिर तथाकथित नेताओं की। जिस प्रकार से मास्टर प्लान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भूमिफियाओं और नेताओं की जमीनों का संरक्षण देकर किसानों को अनदेखा किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 2035 के मास्टर प्लान पर 296 आपत्तियां आई हैं और सुझाव आए हैं। इन सुझावों में रतलाम शहर के आसपास के गांवों के किसानों की अनदेखी की गई है। किसानों से सुझाव नहीं मागे गए ना ही मास्टर प्लान में आने वाली जमीनों के प्रत्येक किसानों को नोटिस देकर अपनी आपत्ति व सुझाव देने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मास्टर प्लान में कुछ ग्रीनबेल्ट और आमोद-प्रमोद



व अन्य उपयोग में लाने के लिए कुछ जमीनें खली गई हैं, जिसमें भी कई आपत्तियां आई हैं, जो जमीनें इसमें आ रही हैं, उससे संबंधित भू-संबंधित व किसानों के सुझाव भी प्रशासन को आमंत्रित करना चाहिए।

नेताओं के बीच बैठकर प्रशासन मास्टर प्लान पर चर्चा करने की बजाए यदि किसानों और सामाजिक संगठनों से इस बारे में चर्चा करें, तो मास्टर प्लान शहर में बेहतर रूप से लागू हो सकता है। मास्टर प्लान में रतलाम के प्रमुख बाजारों का चौड़ीकरण भी शामिल होना चाहिए। शहर में खेल के मैदान व बगीचों का भी उल्लेख इस मास्टर प्लान में होना चाहिए।

शहर के मध्य लगने वाले बस

स्टेण्डों को भी शहर से बाहर स्थापित करने के लिए भी मास्टर प्लान में प्रयास होना चाहिए। 2050 तक शहर की यातायात व्यवस्था कैसी होगी, कितना यातायात बढ़ेगा, कितने वाहन होंगे इस पर भी मास्टर प्लान की बैठकों में विचार होना चाहिए। इन सब सुझावों के लिए गांवों में जनसंपर्क के माध्यम से किसानों के साथ चर्चा कर उनकी सहमति बनाना चाहिए। यह देखा गया है कि मास्टर प्लान से संबंधित बैठकों की सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाती है, जबकि किसानों तक समाचार पत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उन्हें इससे संबंधित खबरें नहीं मिल पाती हैं। मास्टर प्लान से संबंधित जो भी सूचनाएं, दावे-आपत्तियां व

नोटिस प्रत्येक किसान भू-स्वामी के पास आधुनिक सूचना तंत्र जैसे मोबाइल, वाट्सएप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि संबंधित भू-स्वामी व किसान अपने हित के लिए दावे-आपत्ति व सुझाव प्रशासन को दे सकें।

भू-माफियाओं की सांठगांठ से किसकी जमीन मास्टर प्लान में आएगी और किसकी जमीन मास्टर प्लान में नहीं होगी, इसकी योजना बनाने की पूरी साजिश रची जा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार मास्टर प्लान पर सहमति देने के पहले मास्टर प्लान से प्रभावित किसानों और जमीनों के मालिकों से भी पूछताछ करें। केवल बैठकों में पारित मास्टर प्लान को पारित करने से किसानों का अहित होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान किसानों के हित में कई नियम व योजनाएं लागू कर रहे हैं और की है। ऐसे में मास्टर प्लान पर किसानों की सहमति जरूरी है, अन्यथा अन्नदाता अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।

6-10-21

प्रसारण
6/10/2021

जनसुनवाई में श्रीमती जमुना भिड़े ने 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए

प्रसारण न्यूज • रतलाम

6-10-21



जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत- श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ शरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम पलसौख निवासी बाबूलाल पिता स्व. हीरलाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि आवेदक की माता रुक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, जिस पर दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदक कच्चे मकान में निवास करता है तथा उक्त मकान काफी जर्जर हो चुका है और रहने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है।

ग्राम नांदलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता रामेश्वर ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी दिव्यांग है।

प्रार्थी ने अनाथाश्रम की एक लडकी के साथ विवाह किया है और जैसे-तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। प्रार्थी ने बताया कि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांग होने की वजह से वह बराबर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। एसडीएम जावरा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। इसी तरह न्यू काजीपुरा निवासी शबिना बी. पति स्व. सादिक मंसूरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो चुकी है और प्रार्थिया की तीन बेटियाँ हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। अतः उसे आर्थिक मदद दी जाए जिससे वह छेटा-मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन-यापन कर सके। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया है।

जशरु

6/10/2021

पीएम आवास में नाम जोड़ने के लिए मांग रहे रुपये

70 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश दिए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। सीईओ जिला पंचायत जमुना भीड़े द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में ग्राम फनसोड़ा निवासी बाबूलाल पुत्र स्व. हीरालाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि उनकी मां रूक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था। योजना के बारे में जब

संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपये नहीं दोगे तब तक योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। प्रकरण निराकरण के लिए सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है। ग्राम नांदलेटा निवासी कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर ने आवेदन में बताया कि वह दिव्यांग है और अनाथाश्रम की एक लड़की के साथ विवाह किया है। बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एसडीएम जाबरा को जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया।

6-10-21

व्यापारियों पर भड़के पूर्व गृह मंत्री

रतलाम। घास बाजार में सड़क किनारे बैठकर सब्जी, फल बेचने वालों को क्षेत्रीय रहवासियों, व्यापारियों द्वारा हटाए जाने पर मंगलवार सुबह पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने व्यापारियों पर जमकर नाराजगी जाहिर की।

दरअसल घास बाजार में सड़क पर टेले लगाकर, नीचे बैठकर सब्जी व फल बेचने का काम कई लोग करते हैं। यहां के लोगों ने उन्हें घर-दुकान के आगे नहीं बैठने का इवाला देकर कई और

जाने का कहते हुए हटा दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि गरीब का दर्द समझो, पैसा है तो गर्मी है। व्यापारियों ने कहा कि रोड पर टेले व सब्जी विक्रेताओं के कारण ट्रैफिक जाम भी होता है। हजारों लोग परेशान होते हैं। कोठारी से उनकी तीखी बहस भी हो गई। बाद में मामला शांत हुआ।

नईदुनिया

6/10/2021

जनसुनवाई में 70

आवेदन आए 6-10-21

रतलाम, कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में मंगलवार को कुल 70 आवेदन आए। इनकी सुनवाई सीईओ जिला पंचायत जमुना भीड़े ने की। इस दौरान संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

पत्रिका

6/10/2021

नगर निगम आयुक्त का आदेश, रोज हो स्पॉट फाइन

हर दिन 500 पर दंड का टारगेट, 35 लापरवाह कर्मियों का वेतन काटा



पत्रिका
डेटा
डिकोडेड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में गंदगी व अस्थायी अतिक्रमण करने वाले कम से कम प्रतिदिन 500 लोगों की तलाश नगर निगम के स्पॉट फाइन दल को करना होगी। ऐसा नहीं करने वाले 59 कर्मचारियों का तीन दिन का वेतन निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने काट दिया है। आदेश पर अमल करते हुए 35 दिन का वेतन काट दिया गया है व सेवा से भी बर्खास्त किया है।

शहर में प्रतिदिन निगम का स्पॉट फाइन वाला 5 सदस्यों का दल वाहन में भ्रमण करता है। इस भ्रमण के दौरान अधिकारी भी कई बार साथ रहते हैं। दल के सदस्य पूरे दिन में कभी पांच पर तो कभी मात्र तीन पर कार्रवाई करते हैं। वाहन का उपयोग पूरे दिन होता है। सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समीक्षा की तो साफ कहा कि स्वच्छता के मामले में वे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में बेहतर कार्य की जरूरत है। इसके बाद ही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह को हटा दिया गया। इतना ही नहीं अब वेतन काटने के आदेश तो जारी किए ही गए साथ साथ टारगेट भी दे दिया गया।

यह है आदेश

आदेश सके अनुसार स्पॉट फाइन दल को 500 दंड प्रतिदिन का टारगेट दिया गया है। ऐसे में सितंबर माह में 15000 लोगों पर दंड होना जरूरी है। यह नहीं हुआ है तो 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सभी का वेतन काटा जाए। स्पॉट फाइन दल में 5 सदस्यों के अलावा 49 दारोगा सहित अन्य शामिल रहते हैं।

6/10/21

अशहर में बेहतर स्वच्छता के लिए अब दंड लगाना जरूरी है। दल बेहतर कार्य नहीं कर रहा, इसलिए नो वर्क नो पैमेंट का निर्णय लिया गया है। इसलिए तीन दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया गया है। - सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

फैक्ट फाइल

टारगेट - 500 पर दंड करना
एक माह का टारगेट - 15 हजा
दल में सदस्य - 5 कर्मचारी
दारोगा - 49
झोन प्रभारी - 4
मुख्य अधिकारी - 1
नो वर्क नो पैमेंट

पत्रिका
6/10/2021

पहले डोज में थीं होड़ • 373 लोगो का ड्यू डेट भी निकली, अच्छी बात केंद्र पर लगवा सकते हैं

लापरवाही : 11 हजार ने नहीं लगवाया दूसरा डोज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कुछ लोगों का निधन हो गया, कुछ ने शहर के बाहर लगवा ली वैक्सीन

जिले में वैक्सीन के पहले डोज के लिए होड़ थी, केंद्रों पर भारी भीड़ नजर आ रही थी। कई जगह तो विवाद भी हो रहे थे लेकिन ये उत्साह दूसरे डोज के लिए नजर नहीं आ रहा है। कई लोग वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में लेतलाली करते दिखा रहे हैं। शहर में 373 लोग तो ऐसे हैं, जो दूसरा डोज लगवाने की आखिरी तारीख यानी पहले डोज के 112 दिन बाद भी केंद्र पर नहीं आए हैं। इधर अच्छी खबर ये है कि रतलाम शहर में 101.88% वैक्सीनेशन हो गया है।

पहले डोज के के वैक्सीनेशन की शुरुआत जिले में तेजी से हुई थी। अब दूसरा डोज लगाया जा रहा है। रविवार तक 11552 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया। हालांकि इनके पास अभी समय है क्योंकि पहले डोज के 84 दिन से लेकर 112 दिन के बीच कभी भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं लेकिन 373 लोग ऐसे भी हैं जो 112 दिन बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं जो ओवरड्यू हो गए हैं। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाने से मना नहीं किया जा रहा है। वे अभी भी केंद्र पर आ सकते हैं।

शहर प्रभारी लोकेश वैष्णव बताते हैं कि वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए जो लोग ड्यू दिख रहे हैं, उनमें कुछ लोगों का निधन, कुछ बीमार तो वहीं, कुछ लोगों ने शहर के बाहर भी वैक्सीन लगवा ली होगी। क्योंकि वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में कई ग्रामीण लोग भी शहर में आकर वैक्सीन लगवा रहे थे। ऐसे में वास्तविक संख्या कम है लेकिन हम संपर्क कर रहे हैं ताकि नहीं आने वाले लोगों का कारण पता चल सके।

2.33 लाख ने लगवाया पहला डोज, दूसरा डोज लगवाने वाले 1.30 लाख

जिले में पहला डोज लगवाने वालों का आंकड़ा अब अच्छा हो गया है। अब तक 2.33 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। मतदाता सूची के मान से 2.29 लाख लोगों का टारगेट लिया था। इसके अलावा 2.33 लाख लोगों में से 1.30 लाख लोगों ने अभी वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है जो 56% है।

कलेक्टर की इस प्लानिंग के दम पर सभी को लग सकी वैक्सीन

• टीकाकरण के शुरुआती दौर में युवाओं में तो उत्साह था लेकिन 45+ के लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने स्क्रीम दी कि जो युवा अपने साथ 45+ को वैक्सीन के लिए लाएगा, उन्हें जल्द टीका लगाया जाएगा। यह काम आया।

• मतदाता सूची के मान से चेक किया गया कि अब तक किसे टीका लगा है, किसे नहीं। इसी आधार पर बचे हुए लोगों से संपर्क किया।
• अधिकारियों को मैदान में उतारा और वैक्सीनेशन की जानकारी ली।
• शहर में ज्यादा से ज्यादा सत्र

लगाए, कोशिश रही कि लोगों को उनके घर के आसपास केंद्र पर वैक्सीन की सुविधा मिले जो कारगर रहा।
• एक तारीख तय कर बताया कि इसके बाद पहला डोज नहीं लगाया जाएगा, ये चेतावनी थी लेकिन असर भी दिखा।

भास्कर

6/10/2021

बिल्डर के पक्ष में रास्ता बताने वाले राजस्व टीएंडसीपी व निगम अफसरों का रोल जांचेंगे

तथा कलेक्टर कुमार अपनी घोषणा पर अडिग रहेंगे या जांच के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचा लेंगे?

(डी.पी. अग्रवाल)
रतलाम। हमारे संवाददाता को मिली जानकारी तथा दैनिक भास्कर में दि. 28-9-2021 में छपे समाचार के अनुसार तत्कालीन महाराजा द्वारा आईल मिल के लिए दो गई जमीन पर अफसरों से साइटगंट कर तानी जा रही द्वारका रेजीडेंसी की सारी अनुमति निरस्त होगी। बिल्डर के पक्ष में रास्ता बताने परमिशन

देने में अफसरों की क्या भूमिका रही, उसकी भी जांच होगी। इसमें राजस्व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं।

इस प्रकार के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के साहसिक भरे कदम का रतलाम की जनता स्वागत करती है तथा अपेक्षा करती है कि कलेक्टर की कथनी और करनी में फर्क नहीं आया

तथा अवैध रूप से अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से स्वीकृति देने वाले विभाग में बैठे तमाम अधिकारियों और उनके रिश्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होना चाहिए तथा लोकसुव्यक्त के जरिए उनकी तमाम संपत्तियों की जांच करवाना भी अनिवार्य है, यही जनता की कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सा. से अपेक्षा है।



सा० शाकरी

अनाथ आश्रम की कन्या से विवाह के बाद नहीं मिल रही सहायता

जिलास्तरीय जनसुनवाई में 70 आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए जिपंसीईओ ने

रतलाम • स्वदेश समाचार 6-10-21
जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा 70 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। ग्राम नान्दलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता श्री रामेश्वर ने जनसुनवाई में

बताया कि प्रार्थी दिव्यांग है। प्रार्थी ने अनाथाश्रम की एक लड़की के साथ विवाह किया है और जैसे-तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी ने बताया कि उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है और दिव्यांग होने की वजह से वह बराबर मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। एसडीएम

जावरा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

जनसुनवाई में ग्राम पलसोडा निवासी बाबूलाल पिता स्व. होरालाल आंजना ने आवेदन देते हुए बताया कि आवेदक की माता रुक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आवेदक कच्चे मकान में निवास करता है तथा उक्त मकान

काफी जर्जर हो चुका है और रहने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित व्यक्तियों से बात की जाती है तो कहा जाता है कि जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ जनपद पंचायत को भेजा गया है।

कमजोर आर्थिक स्थिति को लेकर फरियाद- इसी तरह न्यू काजीपुरा निवासी

शबीना भी, पति स्व. सादिक मंसूरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है और तीन बेटियाँ हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है। अतः उसे आर्थिक मदद दी जाए जिससे वह छोटा-मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन-यापन कर सके। प्रकरण निराकरण हेतु नगर निगम भेजा गया है।

स्वदेश
6/10/2021

पीएम आवास का आवेदन दिया था, कार्रवाई नहीं की

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 70 आवेदन आए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बीपीएल कार्ड नहीं होने से योजना का लाभ नहीं

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई। सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े ने 70 आवेदनों पर सुनवाई की। पलसोडा निवासी बाबूलाल पिता स्व. होरालाल आंजना ने बताया कि उनकी माता रुक्मणीबाई ने 4 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, आवेदन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। कच्चे मकान में निवास करते हैं, मकान जर्जर हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब संबंधित लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं जब तक रुपए नहीं दोगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण भेजा है।

नान्दलेटा निवासी कन्हैयालाल पिता रामेश्वर ने जनसुनवाई में बताया कि वह दिव्यांग है। अनाथाश्रम की एक लड़की के साथ विवाह किया और जैसे-तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण उसे दिव्यांग सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का लाभ भी नहीं मिला। दिव्यांग होने की वजह से वह मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अतः बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। इसी तरह न्यू काजीपुरा निवासी शबीना भी पति स्व. सादिक मंसूरी ने बताया पति की मृत्यु हो चुकी है। तीन बेटियाँ हैं और वह अपना, अपने वृद्ध सास-ससुर और तीनों बेटियों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। आर्थिक मदद की जाए।

6-10-21

ई.शारदा
6/10/2021

सुबह एक्शन मोड में दिखे पूर्व गृहमंत्री हिम्मत कोठारी, लोगों को दी चेतावनी

प्रयाग न्यूज • खलाम

मंगलवार को सुबह 8.30 बजे जब सड़क पर सब्जी की गाड़ी लगाने वाले अपनी पीढ़ बताने पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के यहां पहुंचे और अपनी पीढ़ बताने। हिम्मत कोठारी उनके साथ बाजार पहुंचे और चौमुखी पुल से लेकर घास बाजार तक सड़क पर सभी गरीब सब्जी यातों के लिए स्थानीय लोगों से भिड़ गए। सब्जी बेचने वाले को पीढ़ से आहत कोठारी ने कह दिया कि सड़क पर बैठने वाले बैठ कर यही धंधा करेंगे।

कोठारी ने स्थानीय रहवासियों से कहा कि अगर तुमको तकलीफ है, तो नगर निगम जाकर कहो कि



इनकी रसीद न बनाएं। कोठारी गरीबों के हित में आज बहुत आक्रोश में नजर आए और कहा कि पैसा कमा लिया तो अब तुमसे

गरीबों की पीढ़ दिखाना बंद हो गई है। करीब आधे घण्टे चली इस ब्रहस में वो सभी रहवासियों को चेतावनी देकर आए कि यह सब्जी वाले और

ठेले वाले यहीं खड़े रहकर धंधा करेंगे मैं इनके साथ हूँ। इसके बाद हिम्मत कोठारी गुस्से में चौमुखी पुल से घास बाजार तक पैदल आए।



खलाम। मुख्य अनाज मंडी प्रांगण में सफाई टैंडर लेने के बाद भी गंदगी ही गंदगी दिखाए दे रही है। भाजपा धराइ मंडल अध्यक्ष आनन्दीलाल गजेंद्र ने बताया कि ड्यू और कोरोना महामारी के दौर में जल प्रदेश सरकार संवित पूरा जिला प्रशासन साफ सफाई के लिए आमजन को जागरूक करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रहा है, यदि मंडी प्रशासन का उद्योगीय तवेया मंडी में बीमारियों को निमंत्रण गैरा दिव्याई दे रहा है। श्री गजेंद्र ने मंडी सचिव से घर्वा कत दोजों ही मंडी प्रांगण में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कस है।

6-10-21

प्रयाग
6/10/2021

एक जगह पर होगा गरबा, मेला स्थागित रहेगा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नवरात्रि सहित आने वाले त्यौहारों के संबंध में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने सदस्यों के सुझाव पर कहा कि शासन के निर्देशानुसार ही कोरोना गाइड लाइन में नवरात्रि व अन्य त्यौहारों का आयोजन होना है। सदस्यों की भावना से शासन को अवगत करवा दिया जाएगा। यदि कोई दिशा-निर्देश मिलते हैं, तो प्रशासन को परम्परा को कायम रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कालिका माता परिसर में गत वर्ष के अनुसार ही अल्प समय के लिए हवन-कुण्ड के आसपास 10 सदस्यीय संख्या के साथ गरबे हो सकेंगे। आयोजन स्थल को 8 फीट की कनात से कवर करना होगा, जिसका समय रात्रि 7 से 8 बजे तक किया गया है तथा आरती 8 बजे की जाए।

बैठक में कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर कालिका माता मैदान पर नगर निगम द्वारा आयोजित मेले का आयोजन कोरोना वायरस की संक्रमण फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संख्या निर्धारित की गई है। राज्य शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार सामाजिक दूरी कायम रखना होगी। प्रतिमा स्थापना के लिए दिशा-निर्देश दिए गए तथा अनुमति के लिए की गई श्रवस्था की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि नास्टर ऑफ पेरिस की नवदुर्गा प्रतिमा के स्थान पर मिट्टी निर्मित की गई मूर्तियों का उपयोग किया जाए।



अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा

प्रतिमा स्थापना स्थल पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी लाईट, जनरेटर की व्यवस्था की जाए, साथ ही बिजली का कनेक्शन अनिवार्य रूप से लिया जाए। प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था भी पूर्वानुसार ही की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त महिला पुलिस बल की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया कि शासन की गाइड लाइन के आने पर दशहरा पर्व की व्यवस्था की जाएगी। शरद पूर्णिमा पर्व, मिलाद-उन-नबी पर्व, दीपावली, गुरुनानक जयंती, क्रिसमस पर्व सहित आने वाले पर्वों के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों के ध्यानाकर्षण पर पुलिस अधीक्षक ने ट्राफिक सुबेदार को निर्देश दिए कि तेज गति से चलने वाले वाइकर्स पर कारवाई की जाए। कलेक्टर ने रात्रि 11:00 से 6:00 तक के नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। शहर की सड़कों तथा खान नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि लगभग 50 करोड़ रूपयों सड़कों के सुधार के लिए चाहिए इसके लिए निगम फंड जुटा रहा है। शहर में बढ़ती आगार खानों की संख्या पर नियंत्रण के लिए कारगर योजना बनाई जा रही है। नगर निगम द्वारा खान बंध्याकरण के लिए टैंडर जारी किए गए हैं अन्य उपाय भी विचारार्थ हैं। बैठक में अपर कलेक्टर मोहनलाल आर्य, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया सहित अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लुनेरा, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पत्रकार शरद जोशी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष इमक भरगट, सलीम आरिफ, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौटाला, प्रदीप उपाध्याय, समाजसेवी महेन्द्र गादिया, बाबूलाल राठी, इमरान खोकर, मधु पटेल, श्रीमती सीमा टाक, वीरेन्द्र वाफगांवकर, पवन सोमानी सहित सदस्यगण उपस्थित थे।

5/21/20 6/10/21

5/21/20

6/10/2021

निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ रैली निकालने पर कांग्रेसजनों पर प्रकरण दर्ज

रतलाम • स्वदेश समाचार 6-10-21

प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी कांग्रेसजनों ने विरोध जताया

नगर निगम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसजनों ने सोमवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिस पर माणिक चौक थाना पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं में तहसीलदार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। तहसीलदार को शिकायत थी कि कांग्रेसजनों ने रैली निकालकर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों में कांग्रेस द्वारा जिले में जनसमस्याओं को लेकर अनेक बार प्रदर्शन किए, बदले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने में कोताही नहीं बरती, उसके बावजूद भी कांग्रेसजनों द्वारा जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन बंधना-आंदोलन जारी है।

सौंदर्यकरण के नाम पर जनता को बेरोजगार नहीं किया जाए, ज्ञातव्य है सोमवार को नगर निगम रतलाम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने शहीद चौक से रैली निकाली जो नगर निगम पहुंची। इस हल्ला बोल प्रदर्शन में कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटक एवं विभिन्न प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां एवं झंडे लेकर चल रहे थे। नगर निगम गेट पर कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को



संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया साथ ही चेतावनी दी है जन हितेषी कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सौंदर्यकरण के नाम पर जनता को

बेरोजगार नहीं किया जाए एवं साथ में जरूरतमंदों को पट्टे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। कार्यक्रम को शहर कांग्रेस कमेंटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पारस दादा सकलेंचा, यास्मिन शेरानी

रजनीकांत व्यास, शांतिलाल वर्मा, बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछवाहा, मुबारिक खान, राजीव रावत, सतीश पुरोहित अरविंद सोनी हितेश पेमल ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जेम्स चाको, शैलेंद्र सिंह अठाना, श्रीमती अदिति दवे सर, मनसूर अली पटौदी, संजय छाजेड़, सैयद बुसद, श्रीमती मोना बग्गा, नीलेश शर्मा, महिप मिश्रा श्रीमती संगीता कांकरिया श्रीमती निशा विजय, जोहेब आरिफ, सुजीत उपाध्याय सहित कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे।

एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

उत्तर प्रदेश लखीमपुर लिखी में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड़ा को किसानों के यहाँ जाने से रोक कर जिस प्रकार से ढंग से गिरफ्तार किया उसकी निंदा की गई एवं राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल भंग करने की मांग की गई है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अभिषेक गहलोत को सौंपा गया।

स्वदेश
6/10/2021

राहत की बात: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के बाद लिया बड़ा निर्णय, 15 अक्टूबर से सौ फीसदी क्षमता से खुलेंगी कोचिंग छूट का दायरा बढ़ा; नवरात्रि में हो सकेंगे गरबा, रावण दहन को भी मंजूरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 6-10-21
patrika.com

भोपाल, मध्यप्रदेश में बीते दो महीने से कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत नवरात्रि में गरबे के आयोजन किए जा सकेंगे। रावण दहन भी होगा। हालांकि कमर्शियल गरबे पर रोक रहेगी, जबकि रावण दहन के बड़े आयोजन के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। 15 अक्टूबर से निजी कोचिंग संस्थान सौ फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। खेल



स्टेडियम भी खोल दिए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के दौरान लिए। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना नियंत्रित रहने के कारण विभिन्न स्तर पर छूट देना तय किया है।

ये छूट तय

कॉलोनी-मोहल्ले में गरबा हो सकेंगे। कमर्शियल बड़े गरबे के आयोजन नहीं हो सकेंगे।

धार्मिक स्थल पर प्रतिमा के पूर्व नियम लागू रहेंगे।

चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। झांकी नहीं निकाली जाएगी। बाकी पूर्ववत् नियम।

जिम अब सौ फीसदी क्षमता से खोले जा सकेंगे।

स्टेडियम पचास फीसदी क्षमता से खुलेंगे। अभी बंद थे।

अंतिम संस्कार में अब दो सौ लोग जा सकेंगे।

डीजे-बीड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बजाने की छूट।

सिनेमाघर पूर्व की तरह ही पचास प्रतिशत क्षमता से चलेंगे।

विभागों के आयोजन दो सौ से तीन सौ लोगों की क्षमता से हो सकेंगे।

पत्रिका 6/10/2021

नहीं लगेंगा कालिका माता नवरात्र मेला

कोरोन संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल भी नगर निगम द्वारा आयोजित कालिका माता नवरात्र मेला नहीं लगेंगा। मेला नहीं लगने से बच्चे और बड़ी में निराशा भी है। उल्लेखनीय है कि मेले में विभिन्न स्थानों के व्यापारी आकर तरह-तरह की दुकानें, झूले, चकरी आदि लगाते हैं, वहीं नगर निगम के सांस्कृतिक समन्वय पर प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम होते हैं। मेले में होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर भी लोगों में उत्सुकता रहती है।

नई दुकान 6/10/2021



पत्रिका न्यूज नेटवर्क 6-10-21
patrika.com

प्रमुख मंदिर है। इनके अलावा दुर्गा माता के मंदिर भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। ऐसे में पत्रिका की खबर के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को इस संबंध में योजना बनाने को कहा था। इसके बाद कुत्तों के बधियकरण करने की योजना बनना शुरू हो गई है। इन सब के बीच शहर में कुत्तों का ध्रमण करने की योजना बनाई है। शहर में मां कालिका मंदिर के अलावा माता लक्ष्मी के ही चार

मंदिर हैं। इनके अलावा दुर्गा माता के मंदिर भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। ऐसे में पत्रिका की खबर के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को इस संबंध में योजना बनाने को कहा था। इसके बाद कुत्तों के बधियकरण करने की योजना बनना शुरू हो गई है। इन सब के बीच शहर में कुत्तों का ध्रमण करने की योजना बनाई है। शहर में मां कालिका मंदिर के अलावा माता लक्ष्मी के ही चार

पत्रिका 6/10/2021

**नगर निगम की
समीक्षा बैठक आज**

रतलाम। छह अक्टूबर को नगर निगम की समीक्षा बैठक होगी। इसमें सभी प्रभारी अधिकारी अपनी-अपनी जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा स्वच्छता के जून प्रभारी, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त, सम्पत्तिकर, सिविक सेंटर परिसंपत्तियों की जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे।

नगर निगम की

6-10 समीक्षा बैठक आज

रतलाम। नगर निगम की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें सभी प्रभारी अधिकारी अपनी-अपनी जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा स्वच्छता के जून प्रभारी, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त, सम्पत्तिकर, सिविक सेंटर की समस्त परिसंपत्तियों की अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे।

प्रसारण

6/10/2021

प्रधानमंत्री मग्न के 1.71 लाख लाभार्थियों को ई-प्रापर्टी कार्ड वितरित करेंगे

भोपाल, (प्रसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना में मग्न के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-प्रापर्टी कार्ड) का वितरण करेंगे। साथ ही सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिले के हितग्राहियों से वचुअल संवाद भी करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वामित्व योजना की जानकारी और योजना के लाभ से अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन भी देंगे। मध्यप्रदेश में 17 सितंबर से 07 अक्टूबर तक चलाए जा रहे जनकल्याण और सुराज अभियान में स्वामित्व योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले से शामिल होंगे। अन्य जिलों से हितग्राही और जन-प्रतिनिधि कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।

24 जिलों में 24 झोन बना रहे नक्शे

स्वामित्व योजना को जिन नौ राज्यों में पायलेट आधार पर लागू किया गया है, उनमें मग्न भी शामिल है। मग्न में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र पर झोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण तथा डोर-टो-डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें 24 झोन 24 जिलों में कार्य रह रहे हैं। इनमें से 6500 ग्रामों में झोन कार्य पूर्ण कर चुके हैं।

नियमों का किया सरलीकरण: मग्न में हितग्राहियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए सर्वे के नियमों का वर्तमान आवश्यकता के अनुसार सरलीकरण किया गया है।

6-10-21

श.ल. (1/2)

शफ सुखे

6/10/2021

त्यौहार: पाबंदियों के बीच मनेगा नवरात्रि पर्व, रहेगी सख्ती

रतलाम। नवरात्रि सहित आने वाले त्यौहारों के संबंध में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने सदस्यों के सुझाव पर कहा कि शासन के निर्देशानुसार

▶ शांति समिति की बैठक में दी जानकारी

6-10-21

ही कोरोना गाइडलाइन में नवरात्रि व अन्य त्यौहारों का आयोजन होना है।

सदस्यों को भावना से शासन को अवगत करवा दिया जाएगा। यदि कोई दिशा-निर्देश मिलते हैं तो प्रशासन को परम्परा को कायम रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कालिका माता परिसर में गत वर्ष के अनुसार ही अल्प समय के लिए हवन-कृण्ड के आसपास 10 सदस्यीय संख्या के साथ गरबे हो सके। आयोजन स्थल को 8 फीट की कनात से कवर करना होगा, जिसका समय रात्रि 7 से 8 बजे तक किया गया है तथा आरती 8 बजे की जाए।

बैठक में कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर कालिका माता मैदान पर नगर निगम द्वारा आयोजित मेले का आयोजन कोरोना वायरस को संक्रमण फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संख्या निर्धारित की गई है। राज्य



शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार सामाजिक दूरी कायम रखना होगा। प्रतिमा स्थापना के लिए दिशा-निर्देश दिए गए तथा अनुमति के लिए की गई व्यवस्था को जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की नवदुर्गा प्रतिमा के स्थान पर मिट्टी से निर्मित की गई मूर्तियों का उपयोग किया जाए।

बैठक में अपर कलेक्टर मोहनलाल आर्य, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ

झारिया सहित अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लुनेरा, पूर्व महापौर शैलेन्द्र ङगा, शरद जोशी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष इमक भरगट, सलीम आरिफ, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौटाला, प्रदीप उपाध्याय, समाजसेवी महेन्द्र गादिवा, बाबूलाल राठी, इमरान खोकर, मधु पटेल, सीमा टोंक, वीरेन्द्र वाफगांवकर, पवन सोमानी सहित सदस्यगण उपस्थित थे।

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा

प्रतिमा स्थापना स्थल पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी लाईट, जनरेटर की व्यवस्था की जाए, साथ ही विजली का कनेक्शन अविचार्य रूप से लिया जाए। प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था भी पूर्वानुसार ही की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त महिला पुलिस बल की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया कि शासन की गाईड लाईन के आने पर दशहरा पर्व की व्यवस्था की जाएगी। शरद पूर्णिमा पर्व, जिलाद-उन-नवी पर्व, दीपावली, गुरुनानक जयंती, क्रिसमस पर्व सहित आने वाले पर्वों के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों के ध्यानाकर्षण पर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक सुवेदार को निर्देश दिए कि तेज गति से चलने वाले वाइकर्स पर कारवाई की जाए। कलेक्टर ने रात्रि 11 से 6 तक के नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। शहर की सड़कों तथा श्वान नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि लगभग 50 करोड़ रुपये की सड़कों के सुधार के लिए चांहे इसके लिए निगम फंड जुटा रहा है।

नवरात्रि

6/10/2021

इस बार भी नहीं हो सकेंगे नवरात्री के गरबे, 31 अक्टूबर तक जिले में नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा

रतलाम | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आगामी 31 अक्टूबर की प्रातः 6.00 बजे तक के लिए लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोलने जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी।

सा 10 21 अक्टूबर